

अवधेश प्रताप रिंड विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / अकादमिक / अ0प्र0 / 2021 / १०३७

रीवा, दिनांक ५.८.२१

अधिरूपना

आदेशानुसार, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत विधि संकाय अन्तर्गत विधि के अध्ययन मण्डल को गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यवाहि इस अधिरूपना प्रारम्भ दिनांक से तीन वर्ष की है।

विधि अध्ययन मण्डल

अधिनियम	28(2) एक	1.	रिवत
	28(2) दो	1.	डॉ पुष्पा ठाकुर प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, विधि, शासां महाविद्यालय, मऊगज, रीवा (म0प्र0)
		2.	डॉ युकेश राणा प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, विधि, श्री रामाकृष्ण कालेज विधि महाविद्यालय, सतना (म0प्र0)
	28(2) तीन	1.	रिवत
	28(2) चार	1.	डॉ रवीन्द्र तिवारी सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, विधि, शासां विधि महाविद्यालय, शतना (म0प्र0)
		2.	रिवत
	28(2) पाँच	1.	श्री मनीष मिश्रा, सहायक प्राध्यापक, विधि, श्रीयुत महाविद्यालय, गंगेव, रीवा (म0प्र0)
		2.	डॉ हेमलता रिह सहायक प्राध्यापक, विधि, रवापी नीलकण्ठ विधि महाविद्यालय, मैहर, सतना (म0प्र0)

अधिनियम 28(3) के अन्तर्गत डॉ पुष्पा ठाकुर को विधि अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।

कुलसचिव
५.८.२१

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल (म0प्र0)
- आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म0प्र0)
- अध्ययन मण्डल के समर्त सदस्यगण।
- संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
- संकायाध्यक्ष, विधि संकाय।
- कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समर्त विश्वविद्यालय।
- निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, भोपाल (म0प्र0)
- कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक

सहायक कुलसचिव (आकादमिक)
५.८.२१